न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः—227/2017/223 आर.टी.एक्ट (2017/00227)

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. भोमा पुत्र श्री मंगला जाति मेहरात, निवासी ग्राम ठीकराना गुजरान, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
2. बाल सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, जाति राजपूत निवासी 17 राजपूतों का मौहल्ला, लाडपुरा तहसील मकराना, जिला नागौर।
3. फकीर मोहम्मद पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार, जाति तेली मुसलमान, निवासी कसाबान मौहल्ला, ब्यावर, जिला अजमेर।
4. रमाकांत पुत्र श्रीराम शर्मा, भागीदार मैसर्स मुदगल मोटर्स, पंजीकृत कार्यालय मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर।
5. नेक मोहम्मद पुत्र श्री फतेह मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी राठी बिल्डिंग, बाई का तालाब, जोधपुर।
6. मोहम्मद रईस पुत्र श्री सालेह मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी, नृसिंहपुरा, बाई जी का तालाब, जोधपुर।
7. नरेन्द्र सांखला पुत्र श्री जगदीश सांखला, जाति माली, निवासी नेहरू गेट के बाहर वर्द्धमान्य कन्या महाविद्यालय के पास, ब्यावर, जिला अजमेर।
8. कुर्बान अली पुत्र श्री फकीर मोहम्मद, जाति तेली मुसलमान, निवासी कसाबान मौहल्ला, ब्यावर, जिला अजमेर।
9. जरीना पत्नी श्री साहबुद्दीन, जाति मेहरात, निवासी ग्राम ठीकराना गुजरान, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
10. मैना पत्नी श्री सगसुद्दीन, जाति मेहरात, निवासी ग्राम ठीकराना गुजरान, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.10.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, राजस्व वाद संख्या 18/2006

उपस्थितः—

1. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3, 7, 8
3. श्री रमजान खान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4,
4. श्री हसन खान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 05, 06।
5. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 9 व 10 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—20.10.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2006 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 21.10.2010 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 भोमा पुत्र मंगला, जाति मेहरात, निवासी ग्राम ठीकराना गुजरान, ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के यहां उनवान भोमा बनाम राजस्थान सरकार पेश कर कथन किया कि ग्राम ठीकराना गुजरान पटवार क्षेत्र सुहावा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नया नगर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा संख्या 102/540/2 रकबा 10 बीघा किस्म वा–3, खसरा नम्बर 1 रकबा 05 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म दांती व खसरा नम्बर 102/540/3 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा किस्म दांती वादी की तन्हा कब्जे आराजीयात की काश्त है व पूर्वजों के समय से लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं। जिसमें से खसरा नम्बर 102/540/2 पर वादी को खातेदारी मिल गई है व बाकी दो खसरा नम्बर भी वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है इस कारण वादी वादग्रस्त भूमियों को अपनी अपनी खातेदारी में अंकित करवाने का अधिकारी है। तत्पश्चात वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब कर प्रतिवादीगण 1 व 2 का जवाब प्राप्त होने पर तनकियात कायम कराई शहादत वादी तलब कर साक्ष्य सुनवाई की जाकर बहस सुन कर तनकीयार निर्णय कर वाद बहक वादी दिनांक 21/10/2010 को डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के वाद संख्या 18/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2010 से असंतुष्ट होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में राजकीय अभिभाषक एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ,4, 5से 8 की बहस सुनी गई।रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 9, 10 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नही हुए।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवदेन किया कि अपीलाधीन राजस्व वाद संख्या 18/2006 उनवान भोमा बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 21/10/2010 की जानकारी मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता वर्तमान पद तहसीलदार, ब्यावर को न्यायालय जिला कलेक्टर, अजमेर के यहां राजस्व अपील संख्या 57/2006 अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1986 में पारित निर्णय दिनांक 17/11/2016 के दौरान संवंधित पटवारी हल्का सुहावा द्वारा रिकार्ड की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने पर जिला कलेक्टर, अजमेर को प्रकरण की सम्पूर्ण वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए मार्ग दर्शन चाहा गया। जिला कलेक्टर अजमेर के द्वारा प्रासंगिक पत्र के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में राजहित प्रभावित होने से सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने से हुई है। तत्पश्चात प्रकरण से संबंधित राजस्व रिकार्ड एवं प्रकरण की संवंधित राजस्व रिकार्ड एवं प्रकरण की संबंधित न्यायालय से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि ग्राम ठीकराना गुजरान, तहसील ब्यावर का साबिक खसरा नम्बर 1 रकबा 05–07–10 किस्म दांती व साबिक खसरा नम्बर 42 रकबा 199.06.00 किस्म गैर मु. दांती जमाबंदी संख्या 1350 फसली में दीगर सिवायचक खाते में दर्ज व पश्चातवर्ती जमाबंदी सम्वत् 2016–19 , 2020–23 में भी प्रांतमीय सरकार के नाम दर्ज है। ग्राम ठीकराना गुजरान की वर्किंग जमाबंदी 2041 व पश्चातवर्ती जमाबंदी संवत्

अपील प्राधिकारी
अजमेर

2065–62 तक हाल खसरा नम्बर 1 रकबा 05–07–10 एवं खसरा नम्बर 42 में से बने हाल खसरा नम्बर 102/540 रकबा 25–00–00 किस्म गै.मु. दांती सिवायचक खाते में दर्ज चले आ रहे हैं अतः निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21/10/2010 द्वारा वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को खातेदार घोषित करने के उपरांत रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने पक्ष में न्यायालय निर्णय की पालना करवा कर नामांतकरण दर्ज करवाकर तत्पश्चात् खसरा नम्बर 1 को रेस्पोडेंट संख्या 2 व अन्य रेस्पोडेंट को बेचान कर दिया गया व रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा भी अन्य रेस्पोडेंट को बेचान कर दिया व इसी प्रकार खसरा नम्बर 102/540 को जरिए बक्शीश रेस्पोडेंट संख्या 9 व 10 के पक्ष में कर दिया जिन सबका भी इंद्राज राजस्व रिकार्ड में करवा दिया गया। वादग्रस्त भूमि शुरू से मिल्कियत सरकार दर्ज रही है व वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी भी कब्जा काश्त कानूनन नहीं रहा है व कभी भी नाजायज कब्जा किया भी गया है तो उसे नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया अनुसार बेदखल किया जा चुका है पर गौर किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 का यही कार्य रहा है कि सरकारी सिवायचक भूमि पर कब्जा कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करवा कर पेराफेरी ऐरिया में होने से जमीन कीमती होने के फलस्वरूप उसे आगे हस्तांतरण कर देना रहा है। यदि पूर्व में किसी अन्य पक्षकार द्वारा उक्त आदेश की अपील प्रस्तुत कर दी है तो सरकार के हक अधिकार कैसे खत्म हो सकते है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2016 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4 ने दौराने जवाव/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व वाद संख्या 18/2006 भोमा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2010 की जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से थी तथा अपीलांट उक्त निर्णय में बतौर पक्षकार के रूप में मुर्तिब थे तथा जिला कलेक्टर, अजमेर के यहां राजस्व अपील संख्या 57/2006 निर्णित आदेश दिनांक 17.11.2016 की क्रियान्विति के दौरान अपीलांट को चुनौतिधीन आदेश की जानकारी होना बताया जो की गलत है तथा उक्त अपील को देरी से पेश करने का कारण प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होना बताया है जो कि मियाद सीमा में नहीं माना जा सकता इस प्रकार से उक्त प्रार्थना पत्र धारा मियाद में अंकित कथन असत्य हैं तथा अपीलांट द्वारा उक्त अपील चुनौतिधीन आदेश दिनांक 21.10.2010 कि जानकारी होने के बावजूद भारी मियाद बाहर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है तथा उक्त प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को इसी स्तर पर निरस्त किया जाए। रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है जो इस प्रकार हैं– आर. बी. जे. 2016 पेज 512, आर. बी. जे. 2007 पेज 438, आर.आर.डी 1999 पेज संख्या 152, आर. बी. जे. 2019 पेज संख्या 258, आर. बी. जे. 2019 पेज संख्या 20, आर. बी. जे. 1998 पेज संख्या 513, आर. बी. जे. 2002 पेज संख्या 273, आर. बी. जे. 2005 पेज संख्या 132, आर. बी. जे. 2011 पेज संख्या 352, आर. बी. जे. 2012 पेज संख्या 686, आर. बी. जे. 2010 पेज संख्या 289, आर. बी. जे. 2004 पेज संख्या 199 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 04 ने दौराने जवाव/बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के

निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2021 के विरूद्ध पूर्व में भी बाबू पुत्र गंभीरा ने न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 27.10.2010 को पेश की गई थी जिसमें राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर एवं तहसीलदार, ब्यावर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 है। उक्त अपील का न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षकारान की सुनवाई किये जाने के पश्चात दिनांक 30.05.2011 को खारिज कर दी गई थी, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2011 के विरूद्ध बाबूलाल पुत्र गंभीरा ने द्वितीय अपील मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की है जिसके अपील संख्या 4228/2011 में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 की ओर से जिला कलक्टर, अजमेर एवं तहसीलदार, ब्यावर पक्षकार है। उक्त संख्या 4228/2011 को मान्नीय मण्डल ने दिनांक 20.07.2011 को खारिज कर दी गई इस प्रकार उक्त प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त प्रकरण रेसजुडिकेटा की श्रेणी में आता है जो राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 30.05.2011 को प्रकरण संख्या 482/2010 बाबू बनाम भोमा की प्रथम अपील खारिज कर निर्णय एवं डिक्री पारित की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में पुनः तहसीलदार, ब्यावर द्वारा प्रथम अपीलं पेश करने का कोई औचित्य विधिक प्रावधानों के अनुसार नही है क्योंकि निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, तहसीलदार, ब्यावर, जिला कलक्टर, अजमेर पक्षकार रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी भोमा के हक में दिनांक 21.10.2020 को दावा डिक्री कर दिया गया व डिक्री की पालना में नामान्तकरण संख्या 213 दिनांक 11.12.2010 को भोमा के नाम तस्दीक कर दिया गया। राजस्व रिकार्ड में भोमा के नाम दर्ज होने के पश्चात भोमा ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 01/01 रकबा 05–04–15 बीघा में से 2 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 04 रमाकान्त पुत्र श्री राम शर्मा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया गया, जिसका नामान्तकरण संख्या 274 दिनांक 08.09.2011 को तस्दीक कर दिया गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 04 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार, काश्तकार व काबिज है। धारा 207 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है इस कारण प्रथम अपील जो धारा 11 जा.दी. के तहत् रेसजूडिकेटा की श्रेणी में आती है, मेंटेनबल योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 से 8 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम निवेदन किया कि अपील में जो देरी का कारण अंकित किया गया है वह अधिकारियो द्वारा प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त होना बताया है, जो आनन फानन में इबारत वर्णित की गई है। यदि राज्य सरकार प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त है तो उसे मियाद समय सीमा में नही माना जा सकता है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा5 मियाद अधिनियम खारिज फरमाया जावे।

9. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 से 8 ने दौराने जवाब/बहस अपील में निवेदन किया कि दिनांक 21.10.2010 को दावा भोमा के हक में डिक्री कर दिया गया एवं डिक्री पालना में नामान्तकरण भोमा के नाम तस्दीक कर दिया गया। भोमा ने उक्त भूमि को विभिन्न व्यक्तियों को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया है। धारा 207 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है, इस कारण प्रथम अपील जो धारा 11 जा.दी. के तहत् रेसजुडिकेटा की श्रेणी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आती है, मेटेनबल योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील रेसजुडिकेटा की श्रेणी में आने से खारिज योग्य है, खारिज फरमायी जावे।

10. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई वहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन हम सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा5 मियाद अधिनियम का निरतारण करना उचित समझते है। हमारे ज्ञानुसार धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के सम्बन्ध में मान्नीय सर्वोच्च न्याालय एवं सभी मान्नीय उच्च न्यायालयों का जो मत एवं अधीनस्थ न्यायालय के लिए मार्गदर्शन है उन्हे हम शब्द वशब्द लिखा है। इन मतो का यही सार है कि लम्वी से लम्वी की देरी को तभी क्षमा किया जा सकता है जवकि देरी करने वाला पक्षकार देरी के संतोषजनक कारणों व परिस्थितियों से न्यायालय को संतुष्ट कर देवें। यदि वह संतुष्ट नहीं कर सकता है अथवा उनके प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण संतोषजनक, पर्याप्त या विश्वसनीय नही है तो छोटी से छोटी देरी को भी क्षमा नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धान्त को राज्य सरकार अथवा निजी पक्षकार दोनो पर समान रूप से लागू होना माना गया है। प्रार्थी/अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपील को मियाद में जाने हेतु पैरा संख्या 02 में कथन अंकित किया है कि सम्बन्धित पटवारी हल्का सुहावा द्वारा रिकार्ड की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाने पर जानकारी होना बताया गया है तथा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03 में जिला कलक्टर, अजमेर के द्वारा समक्ष न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने से जानकारी प्राप्त होना वताया गया है तथा राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत की गई है का कथन किया गया है एवं पैरा संख्या 04 में अपील देरी से पेश करने कारण प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा वाद संख्या 18/2006 में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2010 के विरूद्ध बाबू पुत्र गंभीरा ने न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 27.12.2010 को पेश की गई थी जिसमें राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर एवं तहसीलदार, ब्यावर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 है जो न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षकारान की बहस सुनने के पश्चात दिनांक 30.05.2011 को निर्णित की गई थी तथा उक्त निर्णय की द्वितीय अपील मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई थी उक्त अपील संख्या 4228/2011 में भी जिला कलक्टर, अजमेर व तहसीलदार, ब्यावर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 संयोजित थे। उक्त द्वितीय अपील को मान्नीय मण्डल ने दिनांक 20.07.2011 को खारिज कर दी है।इस प्रकार राज्य सरकार को पूर्व में प्रथम अपील जो कि वावू वनाम भोमा में पारित निर्णय की जानकारी होते हुए भी यह अपील मियाद वाहर पेश की गई है। इसके अलावा भी प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये गये है उसमें वस्तुतः दिनांक 21.10.2010 के निर्णय के विरूद्ध 07 वर्ष से अधिक समय की देरी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषप्रद एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है।

11. गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा वाद संख्या 18/2006 में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2010 के विरूद्ध बाबू पुत्र गंभीरा ने न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 27.12.2010 को पेश की गई थी जिसमें राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर एवं तहसीलदार, ब्यावर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 है जो न्यायालय हाजा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

द्वारा उभयपक्षकारान की बहस सुनने के पश्चात दिनांक 30.05.2011 को निर्णित की गई थी तथा उक्त निर्णय की द्वितीय अपील मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई थी उक्त अपील संख्या 4228/2011 में भी जिला कलक्टर, अजमेर व तहसीलदार, ब्यावर रेस्पोडेन्टसं संयोजित थे। उक्त द्वितीय अपील को मान्नीय मण्डल ने दिनांक 20.07.2011 को खारिज कर दी है। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश की पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 482/2010 निर्णय दिनांक 30.05.2011 को विस्तृत निर्णय पारित करते हुए पूर्व प्रस्तुत अपील को खारिज कर उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय दिनांक 21.10.2010 को यथावत् रखने के आदेश पारित किये हुए है। उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के अपीलाधीन आदेश के खिलाफ पूर्व में हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है, इसलिए न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये निर्णय को उचित समझते है। इसलिए अपील अपीलांट में कोई बल नहीं होने से व अपीलाधीन आदेश की पूर्व में निर्णय किये जाने के कारण अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

12. अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से तथा अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध पूर्व में हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय किय जाने के कारण खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2010 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर